राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(2)नविवि/नियम/2023 जयपुर, दिनांक : 12-05-2023

आदेश

(क)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा "कृषि भूमि के औद्योगिक सम्परिवर्तन (Conversion) को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से" के अनुसरण में एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 11 के उपनियम 2 के तहत स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक सम्परिवर्तन की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

(1) प्राधिकरण स्तरीय समितिः–

1. आयुक्त, विकास प्राधिकरण	–	अध्यक्ष
2. सचिव, विकास प्राधिकरण	–	सदस्य सचिव
3. निदेशक आयोजना विकास प्राधिकरण	–	सदस्य
4. निदेशक विधि, विकास प्राधिकरण	–	सदस्य

(2) न्यास स्तरीय समितिः–

1. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास	–	अध्यक्ष
2. सचिव	–	सदस्य सचिव
3. आयोजना शाखा प्रभारी ATP/DTP/STP	–	सदस्य
4. विधि अधिकारी	–	सदस्य

(3) नगरपालिका स्तरीय समितिः–

1. जिला कलक्टर	–	अध्यक्ष
2. आयोजना शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी (ATP/DTP/STP)	–	सदस्य
3. जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित उच्चतर विधि अधिकारी	–	सदस्य
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी	–	सदस्य सचिव

(ख)

प्रशासन शहरों के संग अभियान में मामलों के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से विभागीय आदेश क्रमांकः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.06.2012 के अतिक्रमण में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा तक पट्टा विलेख जारी किये जा सकेंगे और इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगेः–

क्र.सं.	स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय/फार्म हाऊस/रिसोर्ट	गैर आवासीय
1.	समस्त विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर विकास न्यास	25,000 वर्गमीटर	15000वर्गमीटर
2.	अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारी	15,000 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर

राज्यपाल की आज्ञा से

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय